(for linear projects)

# Government of Himachal Pradesh Office of the District Collector, Mandi

\*\*\*\*

No. DC-MND(LR)-Z(32)-8/2016

FRO

ant Branch

Dated Mandi, the 15 December, 2016

### TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-14-45 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of road Kun to Kamlah falls within the jurisdiction of Kamlah village in Dharampur Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-14-45 hectare of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.

(for linear projects)

### Government of Himachal Pradesh Office of the District Collector, Mandi

\*\*\*

No. DC-MND(LR)-Z(32)-8/2016

Dated Mandi, the 15 December, 2016

#### TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-60-13 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of road Kun to Kamlah falls within the jurisdiction of Majhyar village in Dharampur Tehsil.

#### It is further certified that:

- (a) The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-60-13 hectare of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-

9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.

District Collector,

Mandi District Mandi H.P.

(for linear projects)

## Government of Himachal Pradesh Office of the District Collector, Mandi

\*\*\*

No. DC-MND(LR)-Z(32)-8/2016

Dated Mandi, the 15 December, 2016

#### TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1-10-72 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of road Kun to Kamlah falls within the jurisdiction of Jared village in Dharampur Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1-10-72 hectare of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.

(for linear projects)

### Government of Himachal Pradesh Office of the District Collector, Mandi

\*\*\*

No. DC-MND(LR)-Z(32)-8/2016

Dated Mandi, the 15 December, 2016

#### TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-25-17 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of road Kun to Kamlah falls within the jurisdiction of Koon village in Dharampur Tehsil.

#### It is further certified that:

- (a) The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-25-17 hectare of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.

(for linear projects)

# Government of Himachal Pradesh Office of the District Collector, Mandi

\*\*\*

No. DC-MND(LR)-Z(32)-8/2016

Dated Mandi, the 15 December, 2016

# TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-70-07 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of road Kun to Kamlah falls within the jurisdiction of Torkhola village in Dharampur Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-70-07 hectare of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.

6. 49° .... 2094 - 5-51

Annexure-। अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियिम, 2006

वन अधिकार समिति मुहाल समा । १००० ग्राम पंचायतं १०००

प्रतिलिपि प्रस्ताव

हिंनाक 04-01-2015

प्रस्ताय संख्या प्रमान की बैठक आज दिनाक 04-01-15 को 12 वर्ज मध्य

मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकरों के लिए दावे प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकरों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:--

कुल प्राप्त आवदेन:-

Mic

सही दावों का ब्यौरा:-

कम संख्या	पात्र गांव वाशी के नान	जंगल का नाम	वन-अधिकार का व्यौरा
			_

तदानुसार यह मुहाल सभा इंग दावें / इन दावों को पारित करने हेतु भुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सहीं नहीं पाया गया:--

कम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	

तदानुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है:

मुहाल गांद में कोई भी चन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है। • KOOM

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नवशा बर्तन एंव वन बन्दोबस्त रिपॉट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकरों एंव सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एंव मुझल समा को निर्णय हेतू प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के

मानचित्र एंव परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अभिलेख के अनुसूत् ही माने गए।

स्थान" KOON दिनाक 14-01-15 किए खा पर्नपुर १००० गन्या १०००

अध्यक्ष वन अधिकार समिति मुहाल सभा

ग्राम पंचायतंत्रक छुठ वर्ना विकास खण्ड

विकास खण्ड.... हिमाचल प्रदेश।

Annexure-11

अनुसूर्यति जन जाति व अन्य परम्परागत यन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियिम, 2006

म्हाल सभा का नाम. ग्राम पंचायत का नाम... मुहाल सभा सदस्य संख्या... उपस्थित सदस्य संख्या.

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनाक 06-02-15

प्रस्ताव संख्या.....

मुहाल समा अग्रिंग की बैठक आज दिनाक 6-2-15 को 1 कियों की मधान की मधान की मधान की अध्यक्षता में की गई व उपरोक्त मुहाल समा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से हैं, जिसमें भी श्रीमती जी कि अध्यक्षता में की गई व उपरावत मुहाल जमा का पार्थ की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्रात इस मुहाल सभा मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्रात इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त हुए। गांववासियों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साथ है प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

कुल प्राप्त आवदेन:--

सही दावों का ब्यौरा-

सही दावों का ब्योरा-	T. WELL		वन-अधिकार का स्यौरा
कम संख्या पात्र	गांव वासी के नाम जंगर	का नाम	
91.00	11/4	-9 11	क्रिति को प्रेपित करती है।

तदानुसार यह मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही वहीं पीया गया-

	उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियम	ilday year or
	adding with the	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
T	कृम संख्या	ताक वासी के नाम
1	THE PROPERTY OF	The second secon
-00	The state of the s	A Day serrift &

तदानुसार मुहाल सना इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिकारिश करती हैं।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल की में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई याजिब उल अर्ज नवशा बर्तन एवं वन बंदोबस्त रिपीट में

वर्णित सामुदायिक वनाधिकारो एवं सामुदायिक दन संसाधन के अधिकरों को सही पाया गया एवं उवत अधिकारों के दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानधित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।

पंचायत सचिव मुहाल लभा...

पंचायत स्तार भाग विव शाद यह जिला वण्डी

3.14 = 2094 - 3-210

Annexure-1 अनुसुचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियिम, 2006 वन अधिकार समिति

मुहाल समा Tourkhola साम पंचायत Tourkhold

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनाक 24-08-2014

वन अधिकार समिति मुहाल समा निविष्ठा प्रकार के कि आज दिनाक 27-02-14 को 11! वर्ष निविष्ठ रिक मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकरों के लिए दावे प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकरों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:--

कुल प्राप्त आवदेन:-

सही दावों का ब्यौरा:--

प्रस्ताव संख्या ७2

कम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का य्यौरा
MIL	NiL	MIL	

तदानुसार यह मुहाल समा इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु भुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

कम संख्या	पात्र गांव यासी के नाम
MIL	NIL

तदानुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है:

मुहाल / गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिर्पोट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकरों एंव सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एंव मुहालें समा को निर्णय हेतू प्रेषित किया गया।

मानचित्र एंव परंपरागत सीमाऐं वन विभाग के अभिलेख के अनुभार ही माने ग्रए।

रधान" दिनाक सचिव मुहाल... वन अधिकीय समितिन

ग्राम पंचायत...

विकास खण्ड..

हिमाधल प्रदेश।

वन अधि

विव का वर्गपुर, किए अपन् १४००० मुहाल समा

	Annexure-11
	2008
ें जिल्ह्यांत कर प्राप्ति व अन्य परम्पशास का निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियिम, वन अधिकार सुनिति	
124	
मुझाल समा का नाम - टोन्ट्रेन्सिम्	
राज्यात का साम वी स्वारित	
प्रवास सभा शहरत संख्या	
Some proper with the ()	× .
प्रतिसिपि प्रस्ताव	21(2) - 2 20-2014
200	देते (१) 27-08-2014
र्के कि कि का प्राप्त के कार्ज दिनाक 27-8-2014 को 10100 हजेतीय	चीर्या नीर्याली
27-8-214 DID WOOK	CONTROL TO THE TOTAL OF THE TOT
र्शिया की वेडक आज दिनाक 24-8-19 पूर्वा 1000 वर्ज पर कि नाम की गणपूर्व की मान्यता की मान्यता के का कि वाली (यन अधिकारों की मान्यता	ते निम्न प्रकार से छे, प्रिया
प्रमाणि का प्रवास का गणिया के गई व उपरोक्षा मुहास सना की गणिया के मान्यतः के प्रमाणिया के मान्यतः के प्रमाणिया के प्रमाणिया के प्रमाणिया के आवरेनों पर चर्च	) अधिनियम २००६ या अत्यत ३५ उटार १०
के कार्याचीय कारवारी है जाय परन्यात के के कार्याची पर सम	की गई। यन अधिकरा के अस्तान
्राप्त के अनुसूचित क्षणकाति है अन्य परम्भरागत धन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त के अनुसूचित क्षणकाति है अन्य परम्भरागत धन निवासी (वन अधिकारों की आवदेनों पर चर्च का अनुसूचित स्मिति की विकारिश के उपयान्त हुए। गांववासियों के आवदेनों पर चर्च का अनुसूचित समिति की विकारिश कर विस्तात चर्चा के उपयान्त निम्म प्रकार से कार्य	वाडी की गई:-
प्र कर अधिकार सामिति की शिकारिश के उपरान्त हुए। गांववासिया के आदिकार से कार्य प्राप्त असतावेदों के अध्यमन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्य	
कृल प्राप्त आवर्षनः-	
स्र रहे का मीरा-	वन-अदिकार का स्वीरा
वार गाँउ ग्रांसी के नाम जिंगत का नाम	यस-आद्यार या कारा
27 Feb. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	All
NI L	े कि प्राच्या भागति है।
अपनुसार यह नुहाल सभा इस दाये/ इन दावी की पारित करते हुए इसे उप-खण्ड र अपनुसार यह नुहाल सभा इस दाये/ इन दावी की पारित करते हुए इसे उप-खण्ड र	हा सामात का आउंच उत्तर र
्यानुसार यह मुझल समा इस दाय/ इन दाया का कारा इपरोवत में से निम्नितिखित पात्रों या दाया नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-	
उपरोक्त में से निन्धादाखा भाग गर	The state of the s
राम संप्रदर	11
KILL	
MI -	
त्वानुसार मुद्धार सना इस दांदें / इन दांधों को निरस्त करने की सिकारिश सर्ति-दें इस मुद्धार सना की दन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार नुद्धार की	कार्य कोर्र भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं
ारणुसार मुक्ति तथा ६६ वर्षा प्रतिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुझल di	SMICE PAR
्स मुद्दाल समा की बन आदिकार सामात से प्राप्त पूर्व पूर्व हैं पूछा। इस प्रक्रिकार समिति को प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्ता के दौरान तैयार की गई वाणि	द्र कल आर्ज नवशा वर्रान एवं वन बंदोबस्त रिपोट में
एका। उन अधिकार समिति को प्रस्ताव को अनुसार बन्दोबस्त को दौरान तैयार की गई बाजि इसिन रामुदायिक बनाधिकारों एवं सामुदायिक बन संसावन को अधिवारों को सकी इसिन रामुदायिक बनाधिकारों एवं सामुदायिक बन संसावन को अधिवारों को समितेय	गाम गया एवं उदल अधिकारों के दावे को स्वीकार
्रम अध्यक्तार संभाग पर क्रिकारों एवं सामुदायिक वन संसावन के अधिवारों की सक्ष ्रमें शामुदायिक बनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसावन के अधिवारों की सक्ष विकार का बन रांस्कार्यों की मानिधिय एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख	को अनुसार भी गाने गए।
्राप्त रामुद्रायक वनावकार । अस्ति एवं परंपरागत सीमार्ग वन विभाग के आगलय	the argument
Sale and and Arthur as a con-	
	पंचायत संचिव
	नुहाल रामा
	ग्राम पंचायत
	- Okumolo
(CM) 1	Secretary
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Gram Panchayat, Bellimer Tour Kholo
	Disrt, Mandi (H.P.)

Annexure-1 अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियिम, 2006

वन अधिकार समिति • मुहाल सभा ग्राम पंचायत न

प्रस्ताय संख्या....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनाक 27-08-2014

वन अधिकार समिति मुहाल समा उन्हिंड की बैठक आज दिनाक 27-08-19 को 11 बजे ए मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकरों के लिए दावे प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकरों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:--

कुल प्राप्त आवदेन:- NIL

सही दावों का ब्यौरा:--

कम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का यौरा
	NIL	NIL	Mic

तदानुसार यह मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु भुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:--

कम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	
	LIL	

तदानुसार मुहाल सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है:

मुहाल / गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

वन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एंद यन बन्दोबस्त रिपोंट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकरों एंव सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एंव मुखल सभा को निर्णय हेत् प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के

मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही गाने गए।

रशान व दिनाक

शकित महाल....

वन अधिकार समिति

वि० ६,० धर्मपुर, जि० नण्डी (80प्र०) महाल सिरियस

वन अधिक

वर्गपर, जिंठ नण्डी व्हिरुप्र०)

विकास खण्ड. हिमाचल प्रदेश।

Annexure-11

	जन	जाति	च	अन्य	प्रम्परागत	यन	निवासी	वन	अधिकारों	की	मान्यता	आधानायम,	2006
31 There	71.0	(Carrier)				वन	अधिका	र स	मिति				

मुहाल समा का नाम हो रहना दना ग्राम पंचायत का नाम हो रहना दना मुहाल समा सदस्य संख्या 190 उपस्थित सदस्य संख्या 165

प्रतिसिपि प्रस्ताव

A Aheched

मुडाल समा जो इं की बैठक आज दिनाक के न-8-14 को 11 जिंदा जो अरेड स्थान जो में श्री / श्रीमती जो प्राप्त की अध्यक्षता में की गई व उपरोक्त नुहाल सभा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से हैं, जिसमें मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस गुडाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त हुए। गांववासियों के आवरेनी पर चर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तायों के साथ अपरान्त दस्तावेजों के अव्यनन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई—

कुल प्राप्त आवदेन:-

MIL

सही दावों का ब्यौरा:-

प्रस्ताव संख्या.

कम संख्या	वात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन–अधिकार का ब्योरा
Φ1 11041	XVIL	Mil	

तदानुसार यह मुहाल सभा इस दावे / इत दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेथित करती है। उपरोक्त कें/से निम्नलिखित पात्रों का दादा नियमानुसार सड़ी गहीं पाया गया:-

	The same of the sa	San Carlotte Control
कम संख्या	पांच गांव वासी के नाम	
ALLI		MIL
NIL		

कुजा। वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई युजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एंव वन बंदोबस्त रिपोंट में वर्णित सामुदायिक चनाबिकारों एंव सामुदायिक वन संसाबन के अधिकरों को सही पाया गया एंव उवत अधिकारों के दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एंव परंपरागत सीमाएँ यन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

पंचायत समितः अधिकान् सामातः मुहाल समा मुहाल समा

े का वर्मपुर, निर्व सार्वी प्रिय

स्थान विंनाक

Annexure-1 अनुसूचति जन जाति व अन्य पश्म्परागत वन निवासी वन अधिकारों की भाग्यता अधिनियिम, 2008 वन अधिकार समिति महाल समा याम प्रधावत

प्रस्ताव संख्या 02

इतिहित्तवे प्रस्ताव

दिनाक

वन अधिकार समिति मुहाल समा MOSKY अधिक आज दिनाक . 5. 5. 2014 10 : 411 पुटाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकरों के लिए दावे प्राप्त हुए गावकासियों के वन अधिकरों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्ताने के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यानन राधा उस पर विस्तुत घर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई--

कुल प्राप्त आवदेन-

सही दावों का ब्यौरा:--

पात्र गांव वासी के नाम जगल का नाम

चन-अधिकार का धौरा

तदानुसार यह मुहाल समा इस दावें / इन दावों को पारित कहने होतु मुहात समा से इसकी सिफारिश करती है। जपसंदत म से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार रहते नहीं पाया गया...

कम संख्या

कम संख्या

पात्र गांव वासी के नाम

तकानुसार मुहाल समा इस मार्थ/ इन दावा को किरता करन की सिकारण करता है

मुहाल र गांद में कोई भी घन आवेकार का दाना जात नहीं ्वा है।

वन्दीबस्त के चौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नवशा बर्तुन एवं वन बन्दोबस्त रिपॉट में वर्णित लामुदायिक वनाधिकरा एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेत् प्रेवित किन्नु गया। यन संसाधनों के

मानवित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने भए।

अने प्राप्त कर्म लाहा इ. ५ २०१५ प्राप्त प्राप्त कर्म लाहा कि सा सर्गपुर मण्डी हि०००

िन अर्थ धर्मपुर मण्डी

विकास स्थाप Rep. 2-4281

Annexure-11

	00	अभिज्ञानें की भान्यता अधिनियि	म, 2006	
ः अनुसूचित जन जाति व अन्य प	रम्परागत वन निवासा वन	olidatet du al all all		
अनुसूचात जान साम	वन अधिकार सी	मात		
	मुहाल समा का नाम	4241		
	म्हाल सभा का नाम	and the same of th		
	ग्राम पंचायत का नाम	775118		
	मुहाल समा सदस्य संख्या	122		
	मुहाल समा सपरन राजना	75		
	उपस्थित सदस्य संख्या	212		
		प्रतिलिपि प्रस्त	व	
_ 1			दिनाक	
प्रस्ताव संख्या 💆			4.	
11		-5-20/4 // वर्ज म प्रचर्णना महाल सभा की गण	im Hink a	
177		~~~ ~~ ( ) ( ) ( )	7977	
अस्तावन सामा निर्मा करिय	बेच्या आण दिनावा	- B	पूर्ति निम्न प्रकार से हैं, ब्रिश्तमें ता) अधिनियम 2006 के अंतर्शत इस मुहाल स	-11
7700 37	क्रि अल्याभता में की गई र	। उपरोक्त मुहाल सभा की गण	Mid the same a of 1884.	
शा / शासता	A. A.D. Olemann	D ( No Company of The American	ता अधिनियम 2006 यो अंतरीत इस मुहाल स	*11
कारत के कार्याचीत जनजाति	व अन्य परम्परागत यन नि	विसी (वन आधकारा का नात्व	ता) अधिनियम 2006 ये जंतर्थत इस मुहाल स र्घा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साध तर्यवाही की गई:	7 -
मेहाल का कार्रीकी नहा का रक्षात	Complete to the state of the st	गांतवासियों के आवदेनों पर च	चो की गई। वन आवकरा क अस्ताना क राज	1
की वन अधिकार समिति का	सिकारिश के वनराना हैर।	के उपरान्त निम्न प्रकार से क	र्णाताही की गई:	
क्याच्या अवस्थानेची को अध्यानन	तथा उस पर विस्तृत चर्चा	कं उपरान्त निम्न प्रकार रा क	Idalbi an id	
Addi extingon a one	Marie Commission Commi			
	-		215:	
		कुल प्राप्त आवर्दन:-	26-21	
			0 1	
सही दावों का ब्योरा:-				
		जंगल का नाम	वन-अधिकार का ध्योरा	
कृत राख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जानल का नान		
44 404	-			
-	_			
तदानुसार यह मुहाल समा !	इस दावें रेजन दावों को प	रित करते हुए इसे उप-खण्ड र कडी नहीं पाया गया:-	की समिति को प्रेषित करती है।	
तदानुसार यह मुडाल समा । उपरोक्त में से निम्नलिखित	पात्री का दावा निवनानुसा	t tiet ries ries ries	की समिति को प्रेपित करती है।	
उपरोक्त में से निम्नलिखत	इस दावें रेज दावों को पा पात्रों का दावा नियमानुसार पात्र गांव व	t tiet ries ries ries	की समिति को प्रेपित करती है।	
तदानुसार यह मुहाल समा । उपरोक्त में से निम्नलिखित कम संख्या	पात्री का दावा निवनानुसा	t tiet ries ries ries	की समिति को प्रेथित करती है।	
उपरोवत में से निम्नलिखत	पात्री का दावा निवनानुसा	t tiet ries ries ries	की समिति को प्रेथित करती है।	
उपरोक्त में से निम्नतिखित	पात्री की दीवा निवसीनुसा	सी के नाम		
उपरोक्त में से निम्नलिखित	पात्रा का दावा नियमानुसा	सी के नाम		
उपरोक्त में से निम्नलिखित	पात्रा का दावा नियमानुसा	सी के नाम		प्त न
उपरोक्त में से निम्नलिखित	पात्रा का दावा नियमानुसा	सी के नाम		प्त न
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्या तदानुसार मुहाल सभा इस इस महाल सभा की वन उ	पात्र का दावा नियमानुसा पात्र गांव व दावें / इन दावों को निरस् प्रथिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम त करने की सिकारिश करती है इना के अनुसार मुहाल.	भू भी वन अधिकार का दावा प्रा	प्त न
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्या तदानुसार मुहाल सभा इस इस मुहाल सभा की वन उ	पात्र को दावा नियमानुसा पात्र गाँव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	भू हो कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा	441C
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्या तदानुसार मुहाल सभा इस इस मुहाल सभा की वन उ	पात्र को दावा नियमानुसा पात्र गाँव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	भू हो कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा	441C
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्या तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुडाल सभा की वन अ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंद वन बंदोबस्त ( पाया गया एंद उनल अधिकारों के दावे को	8410
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्या तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुडाल सभा की वन अ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंद वन बंदोबस्त ( पाया गया एंद उनल अधिकारों के दावे को	8410
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्या तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुडाल सभा की वन अ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंव वन बंदोबस्त ( पाया गया एंव उवत अधिकारों के दावे को इ के अनुसार ही माने गए।	8410
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्या तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुहाल सभा की वन अ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंव वन बंदोबस्त ( पाया गया एंव उवत अधिकारों के दावे को इ के अनुसार ही माने गए।	8410
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्या तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुहाल सभा की वन अ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंद वन बंदोबस्त ( पाया गया एंद उनल अधिकारों के दावे को	8410
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्या तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुहाल सभा की वन अ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज मक्शा वर्तन एंव वन बंदोबस्त ( पाया गया एंथ उपत अधिकारों के दावे को प्र के अनुसार ही माने गए।	8410
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्य तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुडाल सभा की वन अ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज मक्शा वर्तन एंव वन बंदोबस्त वि पाया गया एंथ उपत अधिकारों के दावे को प्र के अनुसार ही माने गए।	8410
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्य तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुडाल सभा की वन अ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज मक्शा वर्तन एंव वन बंदोबस्त वि पाया गया एंथ उपत अधिकारों के दावे को प्र के अनुसार ही माने गए।	4410
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्या तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुहाल सभा की वन अ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज मक्शा वर्तन एंव वन बंदोबस्त वि पाया गया एंथ उपत अधिकारों के दावे को प्र के अनुसार ही माने गए।	4410
उपरोक्त में से निम्नतिखित कम संख्या तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुडाल सभा की वन अ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंद वन बंदोबस्त वि पाया गया एंद उवत अधिकारों के दावे को इ के अनुसार ही माने गए। पितायत सावकारों के दावे को पाया सावकारों के दावे को	8410
उपरोक्त में से निम्निलिखत कम संख्या तदानुसार मुहाल सभा इस इस मुहाल सभा की वन उ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र वर्णित सामुदायिक बनाबिर किया गया। वन संसावनों	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंद वन बंदोबस्त वि पाया गया एंद उवत अधिकारों के दावे को इ के अनुसार ही माने गए। पितायत सावकारों के दावे को पाया सावकारों के दावे को	8410
उपरोक्त में से निम्निलिखत कम संख्या तदानुसार मुहाल सभा इस इस मुहाल सभा की वन उ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र वर्णित सामुदायिक बनाबिर किया गया। वन संसावनों	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंद वन बंदोबस्त वि पाया गया एंद उवत अधिकारों के दावे को इ के अनुसार ही माने गए। पितायत सावकारों के दावे को पाया सावकारों के दावे को	441C
उपरोक्त में से निम्निलिखत कम संख्या तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुडाल सभा की वन उ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र वर्णित सामुदायिक वनाधिर किया गया। वन संसाधनों	पात्र की दीवा नियमानुसार पात्र को निरस्त व निरस्त को निरस्त की प्राप्त स्वाव को निरस्त कारो एंव सामुदायिक वन के मानचित्र एंव परंपरागत	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज मक्शा वर्तन एंव वन बंदोबस्त वि पाया गया एंथ उपत अधिकारों के दावे को प्र के अनुसार ही माने गए।	441C
उपरोक्त में से निम्निलिखत कम संख्या तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुडाल सभा की वन उ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र वर्णित सामुदायिक वनाधिर किया गया। वन संसाधनों	पात्र की दीवा नियमानुसार पात्र को निरस्त व निरस्त को निरस्त की प्राप्त स्वाव को निरस्त कारो एंव सामुदायिक वन के मानचित्र एंव परंपरागत	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंद वन बंदोबस्त वि पाया गया एंद उवत अधिकारों के दावे को इ के अनुसार ही माने गए। पितायत सावकारों के दावे को पाया सावकारों के दावे को	441C
उपरोक्त में से निम्निलिखत कम संख्या तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुडाल सभा की वन उ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र वर्णित सामुदायिक वनाधिर किया गया। वन संसाधनों	पात्रा का दावा नियमपुरा पात्र गांव व दावे / इन दावों को निरस् प्रधिकार समिति से प्राप्त स्	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंद वन बंदोबस्त वि पाया गया एंद उवत अधिकारों के दावे को इ के अनुसार ही माने गए। पितायत सावकारों के दावे को पाया सावकारों के दावे को	4410
उपरोक्त में से निम्निलिखत कम संख्या तदानुसार मुहाल सभा इस इस मुहाल सभा की वन उ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र वर्णित सामुदायिक वनाधिर किया गया। वन संसाधनों	पात्र की दीवा नियमानुसार पात्र को निरस्त व निरस्त को निरस्त की प्राप्त स्वाव को निरस्त कारो एंव सामुदायिक वन के मानचित्र एंव परंपरागत	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंद वन बंदोबस्त वि पाया गया एंद उवत अधिकारों के दावे को इ के अनुसार ही माने गए। पितायत सावकारों के दावे को पाया सावकारों के दावे को	4410
उपरोक्त में से निम्निलिखत कम संख्या तदानुसार मुडाल सभा इस इस मुडाल सभा की वन उ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र वर्णित सामुदायिक वनाधिर किया गया। वन संसाधनों	पात्र की दीवा नियमानुसार पात्र को निरस्त व निरस्त को निरस्त की प्राप्त स्वाव को निरस्त कारो एंव सामुदायिक वन के मानचित्र एंव परंपरागत	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंद वन बंदोबस्त वि पाया गया एंद उवत अधिकारों के दावे को इ के अनुसार ही माने गए। पितायत सावकारों के दावे को पाया सावकारों के दावे को	4410
उपरोक्त में से निम्नितिखित कम संख्या तदानुसार मुहाल सभा इस इस मुहाल सभा की वन उ हुआ। वन अधिकार समिति के प्र वर्णित सामुदायिक वनाधिर किया गया। वन संसाधनों	पात्र की दीवा नियमानुसार पात्र को निरस्त व निरस्त को निरस्त की प्राप्त स्वाव को निरस्त कारो एंव सामुदायिक वन के मानचित्र एंव परंपरागत	सी के नाम  त करने की सिकारिश करती है चना के अनुसार मुहाल	में कोई भी वन अधिकार का दावा प्रा अब उल अर्ज भवशा वर्तन एंद वन बंदोबस्त वि पाया गया एंद उवत अधिकारों के दावे को इ के अनुसार ही माने गए। पितायत सावकारों के दावे को पाया सावकारों के दावे को	4410

5.5.12. F. . 9.94 5-176

Annexure-1 अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी यन अधिकारों की मान्यता अधिनियिम, 2006 यन अधिकार समिति मुहाल समा यात्र प्रमायता

प्रतिविधिव प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या अब्दे

विंचाक

वन अधिकार समिति मुहाल समा. पुनि हिंदी वेठक आज दिनाक 12-5-30/4 12 कि मिल्रु पूर्व मिल्रु पूर्व के अंतर्गत वन मुहाल को अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 को अंतर्गत वन अधिकारों के लिए दावे प्राप्त हुए गांववासियों के बन अधिकारों के आवदेनों पर सर्चा की गई। वन अधिकारों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विरुद्ध वर्चा के उपरान्त निवन प्रकार से कार्यवाही की गई।

जुल पाप्त आवर्षन-

21-21

सही दावां का ब्योरा:-

पांच गांव वासी के नाग

वांगल का नाम

िचन-अधिकार का ध्यौरा

तवानुसार यह मुहाल समा इस वाचे / इन वाज को पारित करने हेतु गुहाल समा से इसकी शिकारिश करती है। वयसेवत ने से निम्नाविधित पात्रों का दावा नियमानुसार रही नहीं पाया गया—

कृत संस्था

क्ष संख्या

पान्न गांव वासी के नाम

सदानुसार पुढ़ाल समा इस दावं/ इन दादा का विस्तार करने की सिकारिय करती है।

्या मुहाल / माद में कोई भी धन आंधेकार का दाना चाना नहीं हुन है।

बन्दोबस्त के घौरान सैयार की गई वाजिब एल जर्ज नवशा कोचू एवं वन बन्दोबस्त रिपौट में वर्णित सामुदायिक पनाधिवली एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एवं गुढ़ाल सभा को निर्णय छेतू प्रेवित किया गया। वन रांसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें यन दिमाग के अभिलेख के अनुसार ही गाने गए।

12.5.3014

मार्चि प्रमुखा प्राप्त प्रमुखा है। स्था कि स्था स्थापन प्रमुखा है। स्था स्थापन प्रमुखा है। स्था स्थापन स्यापन स्थापन स्य

महान निरा Devi उपाम प्रधान उपार क्याम प्रधान जिल्लाह क्याम प्रधान पण्डी हि०प्र०

विकास स्वन्तः । विकास स्वरंधाः

Annexure-11

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियिम, 2006 वन अधिकार समिति

> मुहाल समा का नाम. <u>५.4८//ह</u> ग्राम पंचायत का नाम. <u>देव</u>र्द्याह उपश्थित शदस्य संख्या.....

प्रस्ताव संख्या... 0 /

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनाक 12-5-2014

मुहाल सम्ग्र है ने निर्म बैठक आज दिनाक 12-5-2014 2 की आज स्थान है ने निर्म अंशिमती उन्हें की अध्यक्षता में की गई व उपरोक्त मुहाल समा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है, जिसमें मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त हुए। गांववासियों के आवर्दनों पर चर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साथ 🎏 प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

सही दावों का ब्यौरा-

क्ल प्राप्त आवदेन:-

कम संख्या	पान्न गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का ब्यौरा
	_	_	_

तदानुसार यह मुहाल समा इस दावे/ इन क्यों को पारित करते हुए इसे छप-खण्ड की समिति को प्रेयित करती है। उपरोक्त में भी निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

A Charles	The second of th
कम संख्या	पाव गांव वासी के नाम
1	

तदानुसार मुहाल समा इस दावें / इन दावों को निरस्त करने की सिकारिश करती है। . इस मुहाल समा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल क्यों में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं

वन अधिकार समिति के प्रस्ताय के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नवशा वर्तन एंव वन बंदोबस्त रिर्पोट में यर्णित सानुदायिक बनाधिकारो एवं सानुदायिक वन संसाधन के अधिकरों को सही पाया गया एवं उवत अधिकारों के दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एंव परंपरागत सीमाएँ वन विमाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान दिंनाक 34418 12.5.207

म्यायत स्थित प्रमुद्धार म्यायत स्थित वि० ख० धर्मपुर मण्डी हि०प्र०

# Office of the SDO(Civil), Dharampur District, Mandi H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub-Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of <u>Dharampur Sub-Division</u>, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of <u>Mr/Ms Kishori Lal SDO (Civil) Dharampur on 24-10-2016</u> at <u>11:00 A.M.</u> at Dharampur (Place) in which the application (s) of the applicants of HPPWD - Dharampur Gram Sabha, claiming rights in Torkhola forest area(s) under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Torkhola Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee:

Sr. No.	Name of Applicant*	Name o	f Forest	Detail of Forest Right
1.		. NA		
2.	***************************************	. NA		
Sr. No.	Name of Applicant*	Name	of Forest	Detail of Forest Right
1.	***************************************	. NA		
2.		. NA		***************************************

As informed by Torkhola Gram Sabha no application was received claiming rights in Torkhola forest area.

It was suggested and unanimously approved by the members of the committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, national parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place: DHARAMPUR Date: 24/10/2016.

SDO (Civil)-cum Chairman/Chairperson

Sub-Divisional Officer (C)
Oharemour Disti Mandi (H.P.)

<sup>\*</sup> Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Annexure-TIT

# Office of the SDO(Civil), Dharampur District, Mandi H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub-Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of <u>Dharampur</u> Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of Mr./Ms. <u>Kishori Lal SDO (Civil) Dharampur</u> on <u>24-10-2016</u> at <u>11:00 A.M.</u> at Dharampur (Place) in which the application (s) of the applicants of HPPWD - Dharampur Gram Sabha, claiming rights in <u>Majhyar</u> forest area(s) under FRA, 2006, duly processed and recommended by the <u>Majhyar</u> Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee:-

Sr. No.	Name of Applicant* Name of Forest	Detail of Forest Right
2. Sr. No.	Name of Applicant* Name of Forest	Detail of Forest Right
1. 2.	NA NA	

As informed by Majhyar Gram Sabha no application was received claiming rights in Majhyar forest area.

It was suggested and unanimously approved by the members of the committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, national parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Munhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place: DHARAMPUR.

Date: 24/10/2016.

SDO (Civil)-cum Chairman/Chairperson

Sub-Divisional Officer (C) Dhe smour Dist Mandi (H.P.)

<sup>\*</sup> Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

# Office of the SDO(Civil), Dharampur District, Mandi H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub-Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of <u>Dharampur Sub-Division</u>, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of <u>Mr/Ms. Kishori Lal SDO</u> (Civil) <u>Dharampur on 24-10-2016</u> at <u>11:00 A.M.</u> at Dharampur (Place) in which the application (s) of the applicants of HPPWD - Dharampur Gram Sabha, claiming rights in <u>Kamlah forest area(s)</u> under FRA, 2006, duly processed and recommended by the <u>Kamlah Gram Sabha</u>, were discussed to consider the same for recommendation to the <u>District Level Committee</u>.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee:-

Sr. No.	Name of Applicant*	Name o	f Forest	Detail of Forest Right
1.		NA		***************************************
2		NA		
Sr. No.	Name of Applicant*	Name	of Forest	Detail of Forest Right
1.		NA		
2.		NA		

As informed by Kamlah Gram Sabha no application was received claiming rights in Kamlah forest area.

It was suggested and unanimously approved by the members of the committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, national parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place: DHARAMPUR

Date: 24/10/2016.

SDO (Civil)-cum Chairman/Chairperson

Sup-Divisional Officer (C) University 1959, Florid (SLPÅ

\* Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

### Office of the SDO(Civil), Dharampur District, Mandi H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub-Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of <u>Dharampur Sub-Division</u>, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of <u>Mr Ms Kishori Lal SDO</u> (Civil) <u>Dharampur on 24-10-2016</u> at <u>11:00 A.M.</u> at Dharampur (Place) in which the application (s) of the applicants of HPPWD - Dharampur Gram Sabha, claiming rights in <u>Jared forest area(s)</u> under FRA, 2006, duly processed and recommended by the <u>Jared Gram Sabha</u>, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee:

Sr. No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.		NA	3
2.		NA	
Sr. No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.		NA	
2.		NA	
Tonad faus	As informed by Jared Gr	am Sabha no application w	vas received claiming rights in

Jared forest area.

It was suggested and unanimously approved by the members of the committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in

the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, national parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Munhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place: DAARAMPUR.

Date: 24/10/2016.

SDO (Civil)-cum Chairman/Chairperson

Sub-Divisional Officer (C, Dharampur Dist. Mandi (H.P)

<sup>\*</sup> Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

# Office of the SDO(Civil), Dharampur District, Mandi H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub-Division Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Dharanse Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of Market Mishori Lal SDO (Civil) Dharampur on 24-10-2016 at 11:00 A.M. at Dharampur (Place) in which the application (s) of the applicants of HPPWD - Dharampur Gram Sabha, claiming rights forest area(s) under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee-

Sr. No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.	***************************************	NA	
۵,	***************************************	NA	
Sr. No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.		NA	
2.		NA	
	As informed by Koon Gram	Sabha no application wa	s received claiming it I to

As informed by Koon Gram Sabha no application was received claiming rights in Koon forest area.

It was suggested and unanimously approved by the members of the committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, national parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place: DHARAMPUR.

Date: 24/10/2016.

SDO (Civil)-cum Chairman/Chairperson

Sub-Divisional Officer (C) Dharamour Disti Mandi (H.P.)

<sup>\*</sup> Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Proceeding of the meeting of the District Level Forest Right Committee held under the Chairmanship of Deputy Commissioner, Mandi on 08.12.2016.

The following were present in the meeting:

1. Addl. District Magistrate, Mandi	~5.0(MO.3	
2. Sub Divisional Officer (C) Sadar		

3. Sub Divisional Officer (C) Balh

4. Sub Divisional Officer (C) Karsog

5. Sub Divisional Officer (C) Padhar

6. Sub Divisional Officer (C) Discompute 7. Sub Divisional Officer (C) Sundermagns

8. Divisional Forest Officer, Mandi 9. Divisional Forest Officer, Nachan

10. Divisional Forest Officer, Suket 11. Divisional Forest Officer, Karsog

12. Divisional Forest Officer, Jogindernagar

13. District Revenue Officer, Mandi

14. TehsildarJogindernagar 15. Sandeep, Nagar Panchayat Member, N.P Sarkaghat

16. Sant Ram Thakur, Zila Parishad Member, Balichowki

17. Pradcep Kumar, Zila Parishad Member, Ward No. 30 Behal

Member Secretary

Member Member Member Member Member

Member Member Member

At the very outset the Chairman-cum Deputy Commissioner Mandi, welcomed all the participants. The Member Secretary with the permission of the Chair started the meeting. Following proposal under FRA were put for discussion:-

Sr.	Sub Division	Name of Scheme
1	Karsog	30-11-13 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD
9501	PWD DIV Karsog	Tharmani falls within the jurisdiction of Sarahan/598, DPF Makda/572, Shanog/597, DPF Naganal/592, DPF Shushan/574, Tharmani/575 villages in Karsog Tehsil.
3	Kennon	66-07-04 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of road from Shushan, Gwalpur, Shakelar falls within the jurisdiction of Shushan/574, DPF Naganal/592, Gwala/591, DPF Tuman/593, DPF Jakhol/590 villages in Karsog Tehsil.
	Kaasog	30-18-02 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of road from Kotlu to Porla falls within the jurisdiction of Narahan/561, Kotlu/566, DPF Kandlu/563 villages in Karsog Tehsil.
2	Gother	40-00-12 bighas of forest and proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Thach to Kashoud road falls within the jurisdiction of DPF Fanjar village in Balichowki Tehsil,
	Gohan	department for the construction of Patikari Bhara Shill Kashimlidhar road falls within the jurisdiction of Drunu, Shilh, Khavleeh, Shava, Nandhal,

	1	Balh	- Carana
	5	Oam	06-09-02 bighas of forest land proposed to be diverted in favour of a
14/19/11		Mandi I	department for the construction of Tamroh-Chauntra-Dadoh-Dhaba
1	A	Dharampu	
1	Je		0-21-02 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPI department for the construction of link as a first
	de	ALC: THE STREET PROPERTY.	department for the construction of link road Sihan to Kumharda falls wit.
PENDEN	2	# 1 ME 3 V 5 J A 12 S	the jurisdiction of Sihan village in Dharampur Tehsil.
			0-21-02 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of link read [1].
	1 100	A SHOW THE	department for the construction of link road Sihan to Kumharda falls within
	3		the jurisdiction of Kulhan village in Dharampur Tehsil.
	1	Dharanpu	The state of the s
			department for the construction of road Kun to Kamlah falls within the
	4		jurisdiction of Torkhola village in Dharampur Tehsil.
E Part	The same	自然可能在於1984	
	1	A CALL SH	department for the construction of road Kun to Kamlah falls within the
	5	-	jurisdiction of Koon village in Dharampur Tehsil,
	1000		The same of the sa
	1	A BANK DESK	1-10-72 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of road box
SHIER SE	-		jurisdiction of Jaren cilban in Dhan 10 and to Kamlah falls within the
	6		0-60-13 hectare of forms than 1
		1	0-60-13 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of road Kun to Kamlah falls within the
	-	2	jurisdiction of Mailway village is Di
	7	2 2	0-14-45 hectare of forest land
		Cast Cast	0-14-45 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD -
			department for the construction of road Kun to Kamlah falls within the
	8		jurisdiction of Kamlah village in Dharampur Tehsil.
	100	Charapus	
			department for the construction of link road Kolar to Lambar falls within
	9		the jurisdiction of Torkhola village in Dharampur Tehsil.
trata il	1	Dharauper	00-35-73 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD
15 W. 15 H	4	-	department for the construction of Bharari to Kot & Godhal road falls
	10		within the jurisdiction of Kot Gadohal village in Dharampur Tehsil.
		Dharangour	00-50-98 hectare of forest land proposed to be diverted in f
	3.74	-	department for the construction of Tauri Nalha to Parchu via Bheri road
1 5	11	The Market was	talls within the invisdoring of the control of the
			00-50-58 hectare of fam.
	100		00-30-58 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD falls within the jurisdiction of Sajouri village in Dharampur Tehsil.
	12	The state of the s	Tanks within the incisdiction general states to Parchu via Bheri cond
Sec.			100-00-21 heetare of fam.
			department for the court of the post of the diverted in favour of HPPAVD
	1 .	Su. 3	tans within the jurisdiction on the standard Parcha via Rheri road
000	Dr. S.	Sundernagar	old nectare of forcet land
	1	Kausos	department for the court of HPPWD
	2	0	Juristiction of Chaindal ville
1		276 Back 34	0.00 nectare of formet land
			department for the court proposed to be diverted in favour of HPPVA
			department for the construction of Pangna Manjhagan road falls within the
- 3	3		jurisdiction of Ukari illage in Pangna Sub Tehsil
SHEET	-		6.60 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD
		-	department for the construction of Pangna Manjhagan road falls within the
4	1		jurisdiction of Fegal village in Pangna Sub Tehsil.
-	1		6.60 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD department for the construction of Pangna Manihagan
Lang.			department for the construction of Pangna Manjhagan road falls within the
	15.50		and the state of t

and part of the	department for the construction of four lane road falls within the jurisdiction of
. 3	Bhavas Allage in Telsii Sadar, Disti Mandi H.P.  2.2696 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of NHAI department for the construction of four lane road falls within the jurisdiction of Hanogi village in Telsii Aut, Disti Mandi H.P.
7.2	1.8090 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of NHAI department for the construction of four lane road falls within the jurisdiction of Rehukaldhar village in Tehsil Sadar, Distr. Mandi H.P.
13	0.5620 hectare of lorest land proposed to be diverted in favour of NHAI department for the construction of four lane road falls within the jurisdiction of Khini village in Tehsil Aut, Distr. Mandi H.P.
14	2.3863 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of NHAI department for the construction of four lane road falls within the jurisdiction of Thalor village in Tehsil Aut, Distt. Mandi H.P.
15	2.5392 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of NHAL department for the construction of four lane roun falls within the jurisdiction of Aut village in Telesit and Dist. Shandi H.P.
16	4.6940 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of NHAI department for the construction of four lane road falls within the jurisdiction of DPF -Naudoghari village in Tehsil Aut, Distt.Mandi H.P.
17	0.5177 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of NHAI department for the construction of four lane road falls within the jurisdiction of Takoli village in Tehsil Aut, Disti Mandi H.P.
18	2.79.05 bectare of forest land proposed to be diverted in favour of NHAI department for the construction of four lane road falls within the jurisdiction of Nagwahi village in Tehsil Aut, Distt.Mandi H.P.
19	0.5526 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of NHAI department for the construction of four lane road falls within the jurisdiction of Bata village in Tehsil Sadar, Distt. Mandi H.P.
20	5.6015 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of NHAI department for the construction of four lane road falls within the jurisdiction of Shara village in Tehsil Aut, Distt. Mandi H.P.
21	2.2365 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of NHAI department for the construction of four lane road falls within the jurisdiction of DPF Tarahan village in Tehsil Aut. Dist. Mandi H.P.
22	3.219 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of NHAI department for the construction of four lane road falls within the jurisdiction of DPF Rohaj village in Tebsil Aut, Distt, Mandi H.P.
23	8.38 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Panchyati Raj department for the construction of link road Rut Saav to Banout falls within the jurisdiction of Ayaia village in Tehsil Sadar, Distt, Mandi H.P.
Mandi I	0.9674 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Uppavo

The detailed discussion and scrutiny of the proposal, and documents placed on record revealed that above proposals are for linear Projects. For linear projects MOEE Govt, of India has issued a clarification on dated 05-2-2013, wherein exemptions for the requirement of obtaining consent Gram Sabha (s) as stipulated in clause © read with clause (b), (e) and (f) in second para of Ministry of cavironment and forests letter

dated 03.8.2009,has been granted. These exemptions are granted with the conditions that no rights of PTGs and PACs should be affected.

On this issue a meeting was held in this office on 29-05-2015 in which Conservator of Forest, Mandi, Addl. District Magistrate, Mandi, all Sub Divisional Officers (C) of Mandi District and all Tehsildars/Naib Tehsildars of Mandi District were present. It has been decided in the above meeting that if in a village there are no recognized PTG/PAC, then the requirement of the consent of Gram Sabha is not required for linear projects. All the Sub Divisional Officer (C) present in the meeting informed that there is no population PTG and PAC in their respective jurisdiction. Conservator of forest also endorsed the same A list of PTG as obtained from the website of Ministry of Tribal Development of Government of India wherein the name of H.P. does not appear was also perused. Thus it was agreed by all that in Mandi District there is no recorded population of PTG/PAC, hence the issue of their rights does not arise at all. Further Commissioner (Tribal Development), Himachal Pradesh vide his letter No. TBD.F(TDM)1-1/2007-XXIII dated 17-07-2015 has informed that no Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) exists in the State. Thus for above linear projects DLC recommends the issuance for FRA Certificates in the light of Guidelines given in letter No. F.No.11-9/98-FC (pt) dated 05-02-2013.

Deputy Commissioner, Mandi District, Mandi.